

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, कटिहार के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 01 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2024 के अंतर्गत 03 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से रू० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपए) तथा 02 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से रू० 4,00,000/- (चार लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 5,80,000/- (पाँच लाख अस्सी हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं मोबाईल नंबर	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० दिलीप यादव, 59. नुरान यादव, पिछड़ा वर्ग	मिसा देवी (पत्नी)	293 19.03.2026	ग्राम+प०+प०-छोहार, प्र०-समेली, थाना-पोठिया, जिला-कटिहार 6204796597	4644021 2004207 1	UNION BANK UBIN05 46445	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाधिक मृत्यु, खोतिहर मजदूर
2	स्व० शनि कुमार, 20. अयधेश महतो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	सुधा देवी (माता)	294 19.03.2026	ग्राम+प०+प०-खोरिया, प्र०+थाना-कोदा, जिला-कटिहार 9321483544	3841717 5309	SBI SBIN001 4337	रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, (सड़क दुर्घटना के कारण) टाईल्स मिस्त्री का कार्य
3	स्व० उपेन्द्र कुमार, 30. रामचन्द्र मंडल, अनुसूचित जनजाति वर्ग	अनीता कुमारी (पत्नी)	295 19.03.2026	ग्राम-फलावडिया गाडी घाट, प०-चितौरिया, प०-सिरनिया, थाना+प्र०-मनसाही, जिला-कटिहार 8102997872	5091810 0010303	BOB BARB0C HITAU	रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, (सड़क दुर्घटना के कारण) राजमिस्त्री का टल्पर
4	स्व० श्रीनिवास मंडल, 57. स्व० सुरेश मंडल, अनुसूचित जनजाति वर्ग	तेतरी देवी (पत्नी)	296 19.03.2026	ग्राम-बेलगाछी, प०-लखनपुर, प०-बेरिया, थाना+प्र०-अमदाबाद, जिला-कटिहार 7870758541	4022167 308	CBI CBIN02 81560	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाधिक मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य
5	स्व० उदय कुमार सिंह, 61. स्व० केदार नाथ सिंह, सामान्य वर्ग	शान्ति देवी (पत्नी)	297 19.03.2026	ग्राम-दिल्ली दिवानगंज, प०-लखनपुर, प०-दिल्ली दिवानगंज, थाना+प्र०-अमदाबाद, जिला-कटिहार 9800633301	1985810 0003381	BOB BARB0K ISKAT	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाधिक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर
6	स्व० जहूर मिया, 52. उसमान, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	सेरून निशा (पत्नी)	304 20.03.2026	ग्राम-तिनपनिया खोरिया, प०+प०-खोरिया, थाना+प्र०-कोदा, जिला-कटिहार 8603721578	4201771 9526	SBI SBIN000 8392	रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए)	स्वामाधिक मृत्यु, भवन निर्माण में श्रमिक का कार्य

कुल राशि :-रू० 5,80,000/-

(पाँच लाख अस्सी हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र



कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।


ह०/-
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-17/2025-591

पटना, दिनांक :- २१/०५/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 5,80,000/- (पाँच लाख अस्सी हजार रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, कटिहार/उप श्रमायुक्त, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


20/04/2026
Signed by Rohit Kumar
Date: 30-04-2026 13:03:05

(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


Signed by Rajesh Bharti
Date: 07-05-2026 16:48:55
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक